

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के सलग्न ग्रुप-डी-11 के अनुरूप प्रधानाचार्य (रामावि) एवं समकक्ष की वर्ष 2011-12 की रिक्तियों के विरुद्ध एवं पूर्व वर्षों की रिक्त हुई विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा निम्नांकित कार्मिक के चयन किये जाने का निर्णय विभागीय जांच लम्बित होने के कारण बन्द लिफाफा रखा गया था।

इनके विरुद्ध लम्बित विभागीय जांच निर्णित हो जाने के कारण इस कार्यालय के आदेश क्रमांक- शिविरा/मा/संस्था/बी-11/डीपीसी/प्रधानाचार्य/11-12 दिनांक 28.01.2015 द्वारा चयन किये जाने के फलस्वरूप इनके नाम के सामने अंकित विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क-2/95 दिनांक 20.06.2001 (33/01) के प्राधानान्तर्गत ऐसे राज्यकर्मी जिनके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात सन्तानोत्पत्ति से दो से अधिक सन्तान हो तो वे नियमानुसार पदोन्नति पर कार्यग्रहण के पात्र नहीं होंगे। अतः संबंधित नियन्त्रण अधिकारी इस आशय की घोषणा प्राप्त करेंगे कि इनके 01.06.2002 को या उसके पश्चात सन्तानोत्पत्ति से संतानों की कुल संख्या 2 से अधिक नहीं हुई है। नियन्त्रण अधिकारी कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराने से पूर्व पदोन्नत कार्मिक के नाम, वरिष्ठता क्रमांक/वर्ष, वर्तमान धारित पद, जन्म तिथि एवं धारित अर्हता का मिलान कर पुष्टि करेंगे। अन्यथा स्थिति में कार्यग्रहण/कार्यमुक्त नहीं करते हुए निदेशालय को रजिस्टर्ड डाक से एवं विभागीय ई-मेल absecsecedu@gmail.com से तुरंत सूचित करेंगे।

संबंधित अधिकारी नियत दिनांक-22.04.18 तक पदोन्नति पदस्थापन के स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करेंगे। लोकसेवक अगर पदोन्नति का परित्याग करना चाहे तो उसे अपने नियन्त्रण अधिकारी को नियत दिनांक से एक दिवस पूर्व लिखित में आवेदन करना होगा अन्यथा उन्हें नियन्त्रण अधिकारी द्वारा कार्यमुक्त किया जावेगा। नियन्त्रण अधिकारी निर्धारित तिथि से एक दिवस पूर्व आवश्यक रूप से पदोन्नत कार्मिक को पदोन्नति पदस्थापित स्थान हेतु कार्यमुक्त करने के लिए उत्तरदायी होंगे। कार्यभार ग्रहण करने/पदोन्नति परित्याग की सूचना नियन्त्रण अधिकारी(संस्था प्रधान) द्वारा कार्यग्रहण करने की अंतिम तिथि के आगामी दिवस को जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से निदेशालय को जरिये रजिस्टर्ड डाक/ईमेल सूचित करेंगे।

| क्र.सं. | वरिष्ठता क्रमांक | वर्ष | नाम | वर्तमान पदस्थापन | जिला | वर्ग | पदोन्नति पर पदस्थापन | जन्मतिथि |
|---------|------------------|-------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|------|----------------------|------------|
| 1 | 701-702 के मध्य | 03-04 | श्री संकर लाल धारीवाल, प्रधानाध्यापक | रामावि, 6एपीडी श्रीगंगानगर | श्रीगंगानगर | BC | 20एल.एम. श्रीगंगानगर | 13.10.1970 |

(बी.एल.स्वर्णकार)
आई.एस.ए.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

दिनांक:- 21.04.2016

क्रमांक/शिविरा/मा/संस्था/बी-2/प्रधानाचार्य/11-12/15-16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत

01. शासन सचिव-शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर
02. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)/कार्मिक(क-5)विभाग, राजस्थान, जयपुर
03. सचिव लोक सेवा आयोग, अजमेर
04. उप निदेशक (माध्यमिक)अजमेर, बीकानेर
06. जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक), श्रीगंगानगर
07. संस्था प्रधान, रामावि, 20एल.एम./रामावि, 6एपीडी, श्रीगंगानगर
10. श्रीशंकर लाल धारीवाल, प्र.अ., रामावि, 6 एपीडी, श्रीगंगानगर
07. सहायक निदेशक वरिष्ठता/संस्था/सी/गोपनीय प्रतिवेदन/विभागीय जांच/ प्रभारी बी-3
08. निजी एवं रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

संशोधन आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24(3)के अनुरूप एवं अनुसूची 1/11A के ग्रुप डी-1A में संवर्गित प्रधानाचार्य (उमावि) एवं समकक्ष पद (ग्रुप डी-1A) पे-बैंड 15600-39100 पी बी-3 ग्रेड पे 6600 में वर्ष 2015-16 की रिक्तियों के विरुद्ध पूर्व में आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की कार्यवाही के पुनरावलोकन (रिव्यू) बैठक में की गई अनुशंसाओं के आधार पर इस कार्यालय के आदेश क्रमोंक:- शिविरा-माध्य/संस्था/बी-11A/ डीपीसी/ रिव्यू-प्रधानाचार्य/ 15-16/15 दिनोंक:- 18.02.16 द्वारा रिव्यू एण्ड रिविजन की पृथक सूची चयन किये जाने पर आदेश क्रमोंक:- शिविरा-मा/संस्था/बी-2/प्रधानाचार्य/रिव्यूरि 15-16/2016 दिनोंक:- 26.02.2016 द्वारा श्री देवकरण.प्र.अ.रामावि, सूरजगढ़ मण्डी, झुंझनु का पदस्थापन राउमावि, पल्लू हनुमानगढ़ में प्रधानाचार्य के पद पर किया गया था । उक्त आदेश में इन्हे दिनोंक:- 10.03.2016 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण बाबत पाबन्द किया गया था ।

श्री देवकरण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर इनके कार्यग्रहण अवधि में दिनोंक:- 30.04.2016 तक अभिवृद्धि की जाती हैं ।

शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेगी ।


(बी.एल.स्वर्णकार)
आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

क्रमोंक:- शिविरा-मा/संस्था/बी-2/प्रधानाचार्य/रिव्यूरि 15-16/2016 दिनोंक:- 27.04.16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत

01. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार)
02. उप निदेशक (माध्यमिक) बीकानेर/चूरु
03. जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक) झुंझनु/हनुमानगढ़
04. संबंधित संस्था प्रधान ।
- 09 संबंधित कार्मिक ।
05. निजी एवं रक्षित पत्रावली


सयुक्त निदेशक-कार्मिक